

नवम्बर, 2007
NOVEMBER, 2007

एसोशिएटशिप परीक्षा

AG-63

मरीन क्लॉजेज

ASSOCIATESHIP EXAMINATION
MARINE CLAUSES

समय : 3 घंटे]
Time: 3 Hours]

[कुल अंक : 100
[Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं किन्तु यह अनिवार्य नहीं है।
अन्य सभी प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के हैं।

Answer **EIGHT** questions only. Question **ONE** carries 16 marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each.

- | | Marks
(प्रत्येक के 4 अंक) |
|--|------------------------------|
| 1. निम्नलिखित हानियों के संदर्भ में इंस्टिट्यूट कारगो क्लॉजेज (ए), (बी) तथा (सी) के तहत जारी कारगो पॉलिसियों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं की देनदारी की व्याख्या करें :-
क) खराब मौसम के कारण विशेष बीमा क्षति।
ख) सामान्य बीमा क्षति योगदान।
ग) माल जब आतंकवादियों के द्वारा जब्त कर लिया गया हो।
घ) जब पोत, कंटेनर, लिफ्टवैन अथवा भंडारण स्थान में जल का प्रवेश हो गया हो। | 4 each |
| 1. Explain the liability of insurers under cargo policies subject to Institute Cargo Clauses (A), (B) and (C) in respect of following losses :-
a) Particular average due to heavy weather
b) General Average contribution
c) When goods are seized by terrorists
d) When there is entry of water into vessel, container, lift-van or place of storage. | 4 each |
| 2. निम्नलिखित परिस्थितियों में इंस्टिट्यूट कारगो क्लॉजेज के तहत 'विलम्ब' से कैसे निपटा जायेगा :-
क) गंतव्य बंदरगाह पर माल उतराई के बाद सुपुर्दगी लेने में विलम्ब।
ख) बीमाकर्ता को हानि/क्षति की सूचना देने में विलम्ब।
ग) जब हानि का आसन्न कारण बीमित आपदा के कारण हुआ विलम्ब हो।
घ) जब पारगमन के दौरान विलम्ब हो। | (प्रत्येक के 3 अंक) |

2. How will "delay" be treated under Institute Cargo Clauses in the following 3 each circumstances :-

- Delay in taking delivery after discharge of goods at destination port.
- Delay in notifying the loss/damage to the insurers.
- When the proximate cause of loss is delay due to operation of an insured peril.
- When there is delay in course of transit.

3. कारण सहित उत्तर दें :- (प्रत्येक के 4 अंक)

- बाह्य आवरण के चादर के अचानक फट जाने के कारण एक मछलीमार पोत शांत मौसम में डूब जाता है। पोत का बीमा इंस्टिट्यूट फिशिंग व्हेसल्स क्लॉजेज के तहत हुआ है। हानि का कारण साबित करने का भार बीमा अनुबंध के किस पक्ष पर है? यदि हानि का कारण संदिग्ध रह जाय तो स्थिति क्या होगी?
- इंस्टिट्यूट वार क्लॉजेज (कारगो) के तहत बीमित माल जब पोत से उतार दिया गया तब बंदरगाह का वह क्षेत्र दुश्मनों की गोलीबारी के चपेट में आ गया और माल को भारी क्षति पहुँची। कारगो बीमाकर्ता की देयता समझाएं अगर वह बंदरगाह -
 - अंतिम गंतव्य बंदरगाह या
 - यानांतरण बंदरगाह था।
- पेंदा अवरोध के बाद जब पोत को दुबारा तैराने की कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान पोत के पिछले हिस्से का स्तम्भ (टेल शैफ्ट) क्षतिग्रस्त हो गया। क्या मरम्मत का खर्च सामान्य बीमा क्षति के तहत देय होगा?

3. Give reasoned answers to the following :

4 each

- A fishing vessel sinks in calm weather when her shell - plating suddenly ruptures. The vessel is insured under Institute Fishing Vessels Clauses. Upon which party to the insurance contract lies the burden of proving the cause of the loss? What would be the position if the cause of loss remains in doubt?
- After the goods insured under Institute War Clauses (Cargo) are discharged from the vessel, the port area came under enemy fire and goods were extensively damaged. Explain the liability of cargo underwriters if the port was
 - final destination port
 - transhipmen port.
- There is damage to the vessel's tail shaft sustained during refloating operations following stranding of the vessel. Will the repair cost be allowed in General Average?

4. आई. सी. सी. (ए), (बी) तथा (सी) के गैरतरणयोग्यता तथा अनुपयुक्तता अपवर्जन धारा का उद्देश्य बतायें तथा उसकी शर्तों को रूपांकित करें। 12
4. Explain the purpose and-outline the terms of the Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause in ICC (A), (B) and (C). 12
5. आई. टी. सी. - हल्स, 1.10.1983 की तीन - चौथाई टक्कर देयता धारा के द्वारा दिये जाने वाले आवरण का वर्णन करें। 12
5. Describe the cover provided by the Three-Fourths Collision Liability Clause of ITC-Hulls, 1.10.83. 12
- (प्रत्येक के 6 अंक)
6. क) विशेष सूचनापेक्षी पॉलिसी के संदर्भ में बीमित राशि के लिये क्या प्रावधान होते हैं ?
ख) आई. टी. सी. - हल्स 1.10.83 के तहत बीमित कोई पोत जब तोड़े जाने के लिये जल - यात्रा पर निकलता है तब नौचालन धारा (नेविगेशन क्लॉज) के प्रावधानों के तहत इस स्थिति से कैसे निपटा जाता है ?
6. a) What are the provisions as regards the sum insured in case of Special Declaration Policy ? 6 each
b) When a vessel insured under ITC - Hulls, 1.10.83 sails for break-up, how is this situation treated under the provisions of the Navigation Clause ?
7. एक परेषण का बीमा इंस्टिट्यूट कारगो क्लॉजेज (बी) के अंतर्गत हुआ है। (प्रत्येक के 4 अंक)
क) जब हालात बीमित के नियंत्रण से बाहर हों, वैसी परिस्थिति में अगर वाहक किसी मध्यवर्ती बंदरगाह पर माल - संविदा को समाप्त कर दे, तब क्या होता है, समझाएं।
ख) अगर समुद्री यात्रा में परिवर्तन हो तब स्थिति क्या होगी ?
ग) अगर गंतव्य पर माल उतारे जाने के बाद गंतव्य में परिवर्तन हो जाय तब उसका क्या परिणाम होगा ?
7. A consignment is insured under Institute Cargo Clauses (B) 4 each
a) Explain what occurs when the carrier terminates the contract of affreightment at an intermediate port in circumstances beyond the control of the assured?

- b) What will be the situation if there is change of voyage?
- c) What will be the effect of a change in destination after discharge at destination port ?

(प्रत्येक के 6 अंक)

8. निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है :-

- क) शुल्क बीमा धारा
- ख) वर्धित मूल्य बीमा धारा ।

8. How is indemnity determined under the provisions of : 6 each
- a) Duty Insurance Clause
 - b) Increased Value Insurance Clause .

9. निम्नलिखित के पारगमन धारा के अंतर्गत आवरण की अवधि क्या है : (प्रत्येक के 6 अंक)
- क) इंस्टिट्यूट बल्क ऑयल क्लॉजेंज
 - ख) इंस्टिट्यूट जूट क्लॉजेंज ।

9. State the Duration of Cover under Transit Clause of : 6 each
- a) Institute Bulk Oil Clauses
 - b) Institute Jute Clauses .

10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :- (प्रत्येक के 4 अंक)
- क) आई. टी. सी. फ्रेट 1.10.83 का फ्रैंचाइज क्लॉज ।
 - ख) विक्रेता हित आकस्मिकता बीमा धारा ।
 - ग) इंस्टिट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज ।

10. Write Short notes on : 4 each
- a) Franchise Clause under I. T. C. Freight 1.10.83
 - b) Sellers' Interest Contingency Insurance Clause .
 - c) Institute Replacement Clause .

-----समाप्त -----

----- END -----